प्रति,

श्रीमान मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, छत्तीसगढ़
अटल नगर, ज़िला रायपुर - 492002।

विषय : मुख्य नगर पंचायत अधिकारी चारामा हेमंत नेताम द्वारा किसी विशेष फर्म / व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से नियम विरुद्ध जाकर अंतिम तिथी तक मुझे निविदा प्रपत्र जारी नहीं करने की शिकायत बाबत।

महोदय,

1. अवगत होकि नगर पंचायत चारामा कार्यालय से निविदा क्रमांक / 740 / स्था. / न. पं. / 2024-25 दिनांक 13/03/2025 अनुसार आउट सौर्सिंग माध्यम से 36 कर्मचारियों की व्यवस्था के लिए निविदा आमंत्रण सूचना शासकीय वेबसाइट **www.uad.cg.gov.in** में दिनांक 17/03/2025 से सार्वजनिक की गई है।
2. जानकारी हो कि उक्तनिविदा आमंत्रण सूचना में निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन करने या निविदा ख़रीदने से पूर्व किसी प्रकार की दस्तावेज़ दिखाने या जमा करने संबंधित कोई नियम उल्लेखित नहीं है। बावजूद आवेदन स्वीकार करने वाले कर्मचारी द्वारा इसकी मांग करने पर हमारे द्वारा फर्म जीएसटी पंजीयन, ईपीएफ / ईएसआईसी पंजीयन, इन्कम टैक्स रिटर्न, आधार व पेन कार्ड सहित आवश्यक दस्तावेज़ की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न किया गया जिसके सत्यापन उपरांत ही 100/- नगद लेकर निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन नगर पंचायत चारामा द्वारा रसीद दी गई थी। जिसकी छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न है।
3. जानकारी हो कि इस प्रकार आवेदन करने के बाद पूर्व नियत दिनांक 27/03/2025 को निविदा प्रपत्र जारी करने की निर्धारित तिथी पर हमारे संस्था के प्रतिनिधि द्वारा अपने आवश्यक अन्य कार्यों को छोड़कर इस कार्य को प्राथमिकता देते हुए जगदलपुर से चारामा नगर पंचायत कार्यालय सुबह 11 बजे पहुंचे तब जिम्मेदार अधिकारी नदारात रहे। लेकिन मुख्य नगर पंचायत अधिकारी स्वयं शाम को 4 बजकर 40 मिनट पर कार्यालय पहुंचे हैं। तब तक हमारे संस्था के प्रतिनिधि भूंख से व्याकुल होकर भी उनका इंतजार करते रहें, मात्र इस भय से कि कहीं साहब आ गए और मैं न रहा तो मुझे निविदा प्रपत्र जारी नहीं होगा।
4. जानकारी हो कि उक्तनिविदा आमंत्रण सूचना में निविदा प्रपत्र खरीदने से पूर्व किसी प्रकार की दस्तावेज़ दिखाने या जमा करने की कोई नियम उल्लेखित नहीं है। बावजूद पहले तो नगर पंचायत अधिकारी द्वारा पूर्व में जमा किये गए आवेदन के साथ जो दस्तावेज़ नहीं दिखाई दे रहे हैं जानबूझकर निविदा प्रपत्र जारी करने से पूर्व फर्म का पंजीयन मांग किया गया। जब उन्हें बताया गया की निविदा में फर्म और ठेकेदार दोनों को आमंत्रित किया गया है और हम एक ठेकेदार के रूप में निविदा में हिस्सा लेना चाहते हैं इस प्रकार फर्म के पंजीयन की आवश्यकता नहीं है न ही निविदा प्रपत्र खरीदते समय जमा करने का कोई नियम उल्लेखित है तब थोड़ी देर दस्तावेज़ देखने के बाद उनके द्वारा इसी प्रकार श्रम लायसेंस की मांग कर दी गई। तब श्रम लायसेंस कार्यादेश के बाद ही बनाया जा सकता है इस बारे में नियम पूर्वक जानकरी दी गई तब उन्होंने निविदा प्रपत्र से पूर्व बैंक साल्वेसी की प्रति जमा करना पड़ेगा ऐसा कहते हुए बहाना बताकर अंततः निविदा प्रपत्र मुझे नहीं दिया।
5. जानकारी हो कि इस प्रकार मुझे इस निविदा में भाग लेने के मेरे अधिकार से वंचित कर दिया गया है। जिसकारण मुझे संभावित आर्थिक नुकसान के साथ मानसिक पीड़ा और नुकसान का सामना करना पड़ा है।
6. जानकरी हो कि उक्त कार्यालय में पदस्थ गौतम देवांगन से बात हुई तो उनका कहना हैकि निविदा प्रपत्र जारी करने से पूर्व आवेदक के दस्तावेज़ पहले इसकारण मांगते हैं ताकि अगर कोई दस्तावेज़ कम हो तो इस प्रकार निविदा प्रपत्र खरीदने के लिए दिए गए 1500/- का नुकसान से आवेदक को बचाया जा सके।
7. जानकारी होकि उक्त निविदा प्रपत्र जारी होने के बाद में दिनांक 02/04/2025 तक स्पीड पोस्ट के माध्यम से जमा करने की अंतिम तिथी है।
8. जानकारी हो कि किसी भी निविदा प्रक्रिया में तीन लिफाफा पद्धति से निविदा प्रपत्र जारी होने के बाद दिए गए प्रारूप में मांगे गए सभी तकनीकी दस्तावेज़ और सुरक्षा निधि सहित जमा किया जाता है। निविदा खुलने कि तिथी में सर्व प्रथम सुरक्षा निधि जमा का लिफाफा खोला जाता है, सुरक्षा निधि पाए जाने पर तकनीकी/दस्तावेज़ लिफाफा खोलकर उसकी जांच कि जाती है। अगर कोई दस्तावेज कम हो तब उस विशेष फर्म / ठेकदार का निविदा अस्वीकार किया जाता है अन्यथा कि स्तिथि में नहीं।

दिनांक : 27/03/2025

ALLIANCE ENTERPRISES
Proprietor

अतः आप महोदय से मेरी शिकायत हैकिः

1. **नगर पंचायत चारामा के मुख्य नगर पंचायत अधिकारी हेमंत नेताम द्वारा जानबूझकर नियम विरुद्ध जाकर विधिवत मेरे द्वारा आवेदन देने के पश्चात भी मुझे उक्त निविदा हेतु प्रपत्र जारी नहीं किया गया है। जोकि सिविल सेवा आचरण के नियमों के विरुद्ध प्रतीत होता है। मुझे ऐसा भी अंदेशा होता हैकि किसी विशेष फर्म को लाभ देने की मंशा के साथ उन्होंने ऐसा कृत्य किया होगा।**
2. **उक्त आवेदन और शिकायत पर विशेष ध्यान आकर्षित करते हुए या तो इस निविदा प्रपत्र को नगर पंचायत चारामा पहुंचने और खोलने की अंतिम तिथी आगे बढ़ाने और मेरे फर्म को इसमें भाग लेने के लिए निविदा प्रपत्र जारी करने हेतु उन्हें निर्देशित किया जाए। अगर ऐसा संभव न हो तब उक्त निविदा प्रक्रिया को निरस्त करके उक्त कार्य हेतु पुनः निविदा आमंत्रण जारी करने का निर्देश दिया जाए।**
3. **इस निविदा में भाग लेने के लिए मेरे द्वारा कुल 3 बार जगदलपुर से चारामा आने जाने हेतु व्यय किया गया। अतः मेरा एवं मेरे प्रतिनिधि का समय ख़राब करने और मुख्य कार्यपालन अधिकारी हेमंत नेताम द्वारा नियम विरुद्ध जाकर लिए गए निर्णय उपरांत मानसिक रूप से अंतिम दिन प्रताड़ित अनुभव होकर हताश होने के लिए मुझे उक्त निविदा के अनुमानित राशि के बराबर मुआवाज़ा राशि दिलवाई जाए, साथ ही आपसे विशेष अनुरोध हैकि आम नागरिक और ठेकेदार से ऐसे आचरण वाले अधिकारी पर सिविल सेवा आचरण का पालन न करने के नियमों के तहत प्रशासनिक कार्यवाही की जाए।**

आवेदक / ठेकेदार

ALLIANCE ENTERPRISES
Proprietor

अरुण कुमार पाण्डेय्
एलायंस इंटरप्राइजेस
ग्राम-नेगीगुड़ा, तहसील-जगदलपुर
ज़िला-बस्तर, छत्तीसगढ़ 494001
मोबाइल : 0724 740 100

दिनांक 27/03/205

संलग्न :

1. शासकीय वेबसाइट www.uad.cg.gov.in में अपलोड की गई निविदा आमंत्रण सूचना सहित नियम एवं शर्त की छायाप्रति।

2. दस्तावेज़ सत्यापित करने के उपरांत आवेदन स्वीकार करने की पावती की छायाप्रति।

प्रतिलिपि :

1. मुख्य ज़िला मजिस्ट्रेट, ज़िला एवं सत्र न्यायालय, ज़िला कांकेर।

2. श्रीमान ज़िला कलेक्टर एवं दंडाधिकारी महोदय जी, ज़िला कांकेर।

3. श्रीमान मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय, ज़िला पंचायत कांकेर।

4. श्रीमान एसडीएम महोदय जी चारामा, ज़िला कांकेर।

5. श्रीमान अध्यक्ष/सचिव ज़िला उपभोक्ता फोरम, कांकेर।

6. कांकेर ज़िला के सम्माननीय संपादक/प्रतिनिधि महोदय विभिन्न समाचार पत्र/ई मिडिया/इलेक्ट्रोनिक मिडिया।

कार्यालय नगर पंचायत चारामा , जिला–उ.ब. कांकेर (छ0ग0)

Mail ID - cmocharama@gmail.com

क्रमांक / 740 / स्था0. / न.पं. / 2024-25 चारामा , दिनांक 13/ 03 /2025

।। निविदा आमंत्रण सूचना ।।

नगर पंचायत चारामा क्षेत्रांतर्गत एकीकृत पंजीयन प्रणाली अन्तर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत फर्म / एजेंसी / ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्यो हेतु मैनुअल पद्धति निविदा पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से त्री लिफाफा पद्धति से निविदा आमंत्रित की जाती है। जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

1 निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन की अंतिम तिथि :– 24.03.2025, समय शाम 5.00 बजे तक
2 निविदा प्रपत्र जारी करने की तिथि :– 27.03.2025, समय शाम 5.00 बजे तक
3 निविदा प्रपत्र जमा करने की तिथि :– 02.04.2025, समय शाम 3.00 बजे तक
4 निविदा प्रपत्र खोलने की तिथि :– 02.04.2025, समय शाम 4.00 बजे तक

Sr. No	Name of Work	Amount of the Estimate (in Lacs)	Earnest Money Deposit (in Rs.)	Eligible class of contractor/firm /SHG	Time allowed for Completion	Tender Form Fee
1	Outsourcing of Nos 36 Skilled/Unskilled/Semi-skilled Workers at Nagar Panchayat Charama (कलेक्टर के प्रभावशील दर पर)	49.90 Lacs	37,425.00	श्रम आयुक्त कार्यालय, ई.पी. एफ.कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम में पंजीकृत	10 Month	1500.00

उक्त कार्य की निविदा की सामान्य शर्तो, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी कार्यालयीन अवधि में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। साथ ही यह जानकारी विभागीय वेबसाईट www.uad.cg.gov.in देखा जा सकता है। शासकीय अवकाश होने पर दूसरे दिन कार्य की जावेगी।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पंचायत चारामा
जिला–उ.ब. कांकेर (छ.ग.)
चारामा दिनांक 13/03/2025

पृ. क्रमांक / 740 - स्था0. / न.पं. / 2024-25,
प्रतिलिपि :–

1. संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर, जिला उ.ब. कांकेर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
3. संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय, बस्तर संभाग, जगदलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
4. कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) / तहसीलदार / जनपद पंचायत चारामा के सूचना फलक में चस्पा हेतु।
5. डाटा सेंटर प्रभारी, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, अटल नगर , नवा रायपुर को विभागीय वेबसाइट में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।
6. संपादक / प्रतिनिधि दैनिक समाचार पत्र ....के राष्ट्रीय स्तरीय पृष्ट में न्यूनतम आकार 10cm. X 12cm. में एक बार प्रकाशित कर तीन प्रतियों में देयक एवं समाचार पत्र की प्रति, रेट लिस्ट के साथ कार्यालय में प्रस्तुत करें ।
7. संपादक / प्रतिनिधि दैनिक समाचार पत्र ....के राज्य स्तरीय पृष्ट में न्यूनतम आकार 10cm. X 12cm. में एक बार प्रकाशित कर तीन प्रतियों में देयक एवं समाचार पत्र की प्रति, रेट लिस्ट के साथ कार्यालय में प्रस्तुत करें ।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पंचायत चारामा
जिला–उ.ब. कांकेर (छ.ग.)

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर पंचायत, चारामा
जि. उ. ब. कांकेर (छ.ग.)

कार्यालय नगर पंचायत चारामा , जिला–उ.ब. कांकेर (छ0ग0)

Mail ID - cmocharama@gmail.com

—:: निविदा की नियम एवं शर्ते ::—

प्लेसमेंट श्रमिक कार्य का ठेका :–

01 सशर्त निविदा अमान्य होगी।

02 निर्धारित अमानत राशि मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत चारामा निविदा में भाग लेने वाली एजेंसी के संयुक्त नाम से अधिसूचित बैंकों से एफ.डी.आर. रूप मे स्वीकार की जावेगी।

03 निविदा की वैधता अवधि निविदा प्रस्तुत करने के दिनांक से 06 माह तक होगी। निविदा स्वीकृत पश्चात कार्य संपादित करने की समयावधि एक वर्ष तक प्रभाशील रहेगी, आवश्यकतानुसार उक्त कार्यवधि में वृध्दि/कमी की जावेगी। इसी तरह अतिरिक्त श्रमिक भी इसी निविदा दर से प्राप्त किये जा सकते है।

04 निविदा की सामान्य शर्ते, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी कार्यालयीन अवधि में तकनीकी शाखा से अवकाश के दिनो को छोडकर सायं 03.00 बजे तक प्राप्त की जावेगी ।

05 निविदा में भाग लेने हेतु पात्रता:–

01 आयकर विभाग में रिटर्न फाईल की प्रति जो निविदा से 01 वर्ष ज्यादा पुरानी नही हो। इस तथ्य को ध्यान रखा जावे की जिस फर्म के नाम से निविदा में भाग लिया जा रहा है पंजीयन करने वाली संस्था द्वारा फर्म के पंजीयन में प्रोपाईटर के रूप में व्यक्ति विशेष के नाम का उल्लेख किया गया हो तो उसी स्थिति में फर्म स्थान पर प्रोपाईटर के नाम से आयकर की विवरणी मान्य होगा ,अन्यथा कि स्थिति में संबंधित फर्म के नाम से आयकर रिटर्न की प्रति प्रस्तुत करना होगा। अलग–अलग व्यक्तियों /फर्म के नाम से आयकर विवरण होने के बाद भी यदि उपरोक्त फर्म के मालिक अथवा भागीदार आपासी रिश्तेदार जिसमें पति, पत्नी,बच्चे माता पिता,भाई बहन होने की स्थिति में केवल 01 फर्म जिसके द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दर अधिक हो सकता है। निविदा स्वीकृत के पश्चात इस आशय की शिकायत/जानकारी प्राप्त होती है कि निविदा में भाग लेने वाली सभी फर्म आपस में रिश्तेदार है जिसके कारण निविदा में प्रतिस्पर्धा का अभाव था, ऐसी स्थिति में स्वीकृत निविदा को निरस्त कर जमा राशि/कटौती राशि को रातसात किया जा सकेगा।

02 निविदा मे भाग लेने वाली संस्था के पास ई.पी.एफ रजिस्ट्रेशन एवं ई.एस.सी. रजिस्टेशन का प्रमाण प्रत्र होने कि स्थिति में आवेदन के साथ नोटरी द्वारा सत्सापित शपथ पत्र प्रस्तुत किया जावे की कार्यदेश जारी होने के दो माह के अदंर ई.पी.एफ एवं ई.एस.सी. विभाग में पंजीयन कराकर प्रस्तुत किया जावेगा निर्धारित समयवधि में उपरोक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहने की स्थिति में निविदा निरस्त कर सभी प्रकार की जमा राशि राजसात करने में कोई आपत्ति नही है पंजीयन की प्रति प्रस्तुत करने तक संबंधित फर्म द्वारा श्रमिको को प्रदाय वेतन से कटौती की गयी राशि तथा फर्म को निविदा दर के माध्यम से देय सभी प्रकार की राशि का भुगतान स्थगित रखा जावेगा। विलंब से ईपीएफ एवं ई.एस.सी की राशि जमा करने की स्थिति में उपरोक्त विभागो द्वारा अधिरोपित दण्ड शुल्क की राशि ब्याज की राशि आदि के भुगतान का दायित्व ठेकेदार का होगा ,जिसके लिये विभाग द्वारा कोई भी राशि देय नही होगी। उपरोक्त सभी अतिरिक्त राशि का भुगतान ठेकेदार को देय लाभांश राशि से किया जावेगा, निर्धारित 02 माह के समयवधि में दस्तवेज प्रस्तुत करने में असफल रहने कि स्थिति में निविदा निरस्त कर जमा समस्त राशि राजसात करने हुये संबधित फर्म का नाम काली सूची में दर्ज किया जावेगा । अतः नये पंजीकृत ठेकेंदार एवं संस्थाए जो निविदा में भाग ले रही है व यह सुनिश्चित कर लेवे कि वे निर्धारित अवधि में पंजीयन करा सकने की स्थिति मे है।

03 फर्म /महिला समूह /विभिन्न प्रकार की समिति /एन.जी.ओ. एवं अन्य ऐजेसी जिनके द्वारा प्लेसमेंट श्रमिक प्रदाय का कार्य पूर्ण में किया गया हो उन सभी संस्थाओ का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र व पार्टनर डीड प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावें। ठेकेदार द्वारा निविदा में भाग लिये जाने कि स्थिति में एकल पंजीयन की सक्षम श्रेणी में वैध प्रति प्रस्तुत करना होगा।

04 फर्म /महिला समूह /विभिन्न प्रकार की समितियां /एन.जी.ओ. एवं अन्य ऐंजेंसी तथा ठेकेदार के पास श्रमिको एवं अन्य शसकीय भुगतान कर सके ऐसा सक्षम होना चाहिए ।उक्त राशि के समतुल्य राशि का आय व्यय किया गया हो उसके समर्थन में अधिसूचित बैको के पासबुक की सत्यापित छायाप्रति संलग्न किया जावें जिससे समय से भुगतान नही होने कि स्थिति में निकाय अप्रिय स्थिति का सामना नही करना हो ।निकाय द्वारा सामान्यतः 02 माह के अंतराल से भुगतान किया जावेगा । ठेकेदार को प्रत्येक माह की 07 तारीख जक सभी भुगतान अनिवार्य रूप से करना होगा।

05 कार्य की कुल लागत राशि का 15 प्रतिशत के बराबर की बैंक साल्वेसी की सत्यापित छायाप्रति जो एक वर्ष से अधिक पुरानी नही हो तथा जिसे खाते से श्रमिको को भुगतान किया जाना प्रस्तावित है उसी बैंक द्वार जारी किया गया हो।

06 निविदा में भाग लेने वाली फर्म /सस्था का पैन नम्बर एवं जीएसटी पंजीयन के लिये बिन्दु कमांक –05(1)के प्रावधान अनुसार कार्यवाही संपादित किया जावे।

07 कार्यादेश जारी होने के बाद श्रम विभाग द्वारा जारी लाईसेरा एवं पंजीयन की प्रति एक माह के सीमा अवधि में प्रस्तुत करने का सहमति पत्र संलग्न करना होगा। पंजीयन के प्रति प्रस्तुत करने तक ठेकेदार द्वारा श्रमिको के लिये किये गये परिश्रमिक भुगतान के अलवा अन्य राशि का भुगतान लंबित रखा जावेगा।

08 फर्म /महिला समूह/विभिन्न प्रकार की समितियाँ /एन.जी.ओ. एवं अन्य ऐंजेसी द्वारा निविदा में भाग लिये जाने की स्थिति में चार्टड एकाउन्टेट का नाम एवं पता स्पष्ट रूप से लिखा जावेगा।ऑडिट रिपोर्ट में श्रमिकों का भुगतान करने योग्य राशि का लेन– देन स्पष्ट रूप होना चहिये। एवं बचत राशि भी हो, यह सुनिश्चित करे।

06 सुरक्षा एजेंसी निविदा में भाग नही ले सकते है।

07 फर्म /महिला समूह/विभिन्न प्रकार की समितियॉ /एन.जी.ओ. एवं अन्य ऐंजेसी संस्था को छत्तीसगढ राज्य स्तर पर सरकारी विभागों/निगम /मण्डल/प्राधिकरण में विभिन्न कार्यो हेतु निविदा में उल्लेख श्रमिको की संख्या के समतुल्य श्रमिक आपूर्ति का एक कार्यादेश अथवा 50 प्रतिशत तक श्रमिक आपूर्ति होने की स्थिति में कार्यदेश के माध्यम से कार्य संपादित करने प्रकियाधीन वसूली राशि जिसमें पत्रवार किया जा रहा है।

08 वह अविवादित राशि की श्रेणी में नही होगी एवं ऐसी स्थिति में ठेकेदार निविदा में भाग लेने योग्य होगा।

09 पूर्व से कार्यरत श्रमिक को कार्य में रखे जाने को प्राथमिकता देनी होगी । मुख्य नगर पालिका अधिकारी के लिखित / भौखिक निर्देश के बाद ही पुराने श्रमिको को कार्य से पृथक किया जा सकेगा ।निविदा समप्ति पश्चात ठेकेदार द्वारा रखे गये मजदूर को पुनः कार्य पर रखने की जवाबदारी निकाय की नही होगी ।

10 ठेकेदार के नियंत्रण में कार्यरत श्रमिक द्वारा निकाय से संबंधित अधिकारीयों/पदाधिकारीयों, सम्माननीय जन प्रतिनिधियों के साथ दुर्व्यव्हार करने, मारपीट करने, आदेशों का पालन नही करने, कार्य स्थल के संबंध में सिफरिस कराने अथवा अन्य माध्यम से दबाव बनाने, ग्रुप बनाकर कार्य नही करने, कार्यरत, श्रमिक को गुमराह करने, परिसर में धरना प्रदर्शन करने वाले, तत्थ्यहीन शिकायत करने, गैर कानूनी कार्य इत्यादि करने पर सम्पूर्ण जवाबदारी ठेकेदार की होगी, तथा ऐसे श्रमिको गैर कानूनी कार्य इत्यादि करने पर सम्पूर्ण जवाबदारी ठेकेदार की होगी ।न्यायालयीन कार्यवाही अथवा क्षतिपूर्ति के लिये ठेकेदार उत्तरदायी होगा।

11 जिस क्षेत्र में श्रमिको को सफाई कार्य का दायित्व सौपा जावेगा उक्त क्षेत्र में स्थित नालियों की सफाई तथा निकले अपशिष्ट को निकले अपशिष्ट को निर्धारित स्थल तक पहुचाने का कार्य, सडको की सफाई दैनिक बाजार व मीट मार्केट की सफाई कार्य,उक्त क्षेत्र के पेराबघरो, सार्वजनिक शौचालय की सफाई, आदि से निकले कचरों अवशिष्टो को व्हील बैरो के माध्यम से एकत्रित कर निर्धारित नुक्कड पहुचाने का दायित्व होगाा। निकाय क्षेत्र में निकाय द्वारा प्रदाय कीटनाशक दवाई का छिडकाव, चूना एवं ब्लीचिंग पाउडर का छिडकाव श्रमिको द्वारा समय– समय पर आदेशानुसार किया जाना होगा निदान की शिकायत का निराकरण तय समयसीमा के अंदर अनिवार्य रूप से किया जाना होगा कार्यालय द्वारा निर्देशित किये जाने पर समयावधिके बाद भी श्रमिको की उपस्थिति एवं कार्य संपादित कराने का दायित्व ठेकेदार का होगा।

12 किसी भी हडताल धरना की स्थिति में श्रमिको माग का विधिसम्मत निराकरण तत्काल करना होगा अन्यथा की स्थिति मे अनुबंध निरंरत कर अमानत राशि व रोका गइ सुरक्षा राशि राजसात करने व फर्म को ब्लेक लिस्ट करने की कार्यवाही की जावेगी।

13 सफाई कार्य का निरीक्षण किसी भी समय नगरपालिका परिषद के पदाधिकारी/मुख्यनगरपालिका अधिकारी/एवं सफाई सुपरवाईजर के निर्देश का पालन श्रमिक को अनिवार्य रूप से होगा जिसकी निरीक्षण या कियावन्यन ठेकेदार के सुपरईजर को कराना होगा।

14 अनुबंधकर्ता के द्वार कार्य पर रखे गये कर्मचारी अनुबंधकर्ता के कर्मचारी होगे तथा वे इस आधार निकाय में कार्य किया है। भविष्य में कभी भी नगरपालिका सेवा में रखे जाने के अधिकारी नही होगे और न ही उपरोक्त आधार पर इसकी मांग कर सकेंगे।

15 नाली सफाई के दौरान रखे गये चेम्बर कवर, सीवर लाईन सफाई के पूर्व बाद में चेम्बर कवर को व्यवस्थित करना। /खेलना /बंद करना अनिवार्य होगा।

16 सफाई श्रमिको को अपने कार्य क्षेत्रान्तर्गत मृत लावारिस जानवर,कुत्ता,बिल्ली,गाय आदि का शिकायत प्राप्त होने पर शीघ्र उठाना होगा। जिसका पृथक से कोई भी भुगतान देय नही होगा।

17 आपात परिस्थितियों में नगरपालिका द्वारा आवश्यकतानुसार सफाई कार्य में लगें श्रमिको की सेवाई सफाई सबंधी अन्य कार्य मे लगाए जाने का अधिकार नगरपालिका को होगा। आपात स्थिति में शहर से संलग्न अन्य शहरी/ग्रामीण क्षेत्र में जिला/तहसील मुख्यालय में सफाई के साथ अन्य अवश्यक कार्य में संपादित कराये जा सकेंगे। ऐसे स्थिति में पृथक से कोई राशि देय नही होगी केवल कार्यालय आवागमन की व्यवस्था किया जावेगा।

18 ठोस अपशिष्ट प्रबंधक के तहत सफाई व्यवस्था हेतु शासन स्तर से यदि कोई एजेंसी नियुक्त की जाती है या मुख्य नगरपालिका अधिकारी के सफाई व्ययस्था से असंतुष्टि होने की स्थिति में कभी भी कार्य बद कराने के लिये स्वंतत्र होगा।

19 प्रतिदिन की कार्यवधि :– श्रमिक से प्रतिदिन दो पालियो में कार्य करना होगा /न्यूनतम 08 घंटा श्रमिको को कार्य करना अनिवार्य होगा।

20 कार्य की आवश्यकता को देखते हुये समय आवश्यक वृद्धि एवं श्रमिको की सख्या में वृद्धि किया जा सकेगा । जिसके लिये स्वीकृत दर के अतिरिक्त अन्य कोई राशि देय नही होगी।

21 समय–समय में शासन द्वारा/ श्रम विभाग द्वारा/ कलेक्टर द्वारा /निकाय के सक्षम पदाधिकारी द्वारा /भारत सरकार द्वारा प्रावधानीक शर्ते के अतिरिक्त अन्य शर्त प्रभावशील किये जाने के स्थिति में उक्त प्रावधान स्वतः प्रभाशील हो जावेगा ।

S/E
Sub Engineer
Nagar Panachayat Charama
Distt. U. B. Kanker(C.G.)

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पचायत चारामा
जिला उ.ब. कांकेर (छ.ग.)

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर पंचायत, चारामा
जि. उ. ब. कांकेर (छ.ग.)

ALLIANCE

दिनांक : 22/03/2025

प्रति,

मुख्य नगर पंचायत अधिकारी महोदय

नगर पंचायत चालामा।

विषय : आउट सोर्सिंग माध्यम से 36 कर्मचारियों की व्यवस्था संबंधित निविदा प्रपत्र खरीदने हेतु आवेदन।

महोदय,

विनम्रता पूर्वक निवेदन है की आपके कार्यालय से जारी निविदा क्रमांक 740/स्था./ न.प./2024-25 दिनांक 13/03/2025 आउट सोर्सिंग माध्यम से 36 कर्मचारियों की व्यवस्था संबंधित निविदा प्रपत्र हमारे संस्था के नाम प्रदान करने की कृपा करे। उक्त हेतु तय राशि 1500/- हमारे द्वारा देय होगी।

आवेदक

अरुण पाण्डेय

अलायन्स इंटरप्राइजेस

7247401000

ALLIANCE ENTERPRISES

प्रारूप 1 नियम 20 – 25 ख

बुक नं. 1007 रसीद नं. 28

विविध रसीद

(दूसरी प्रति कार्बन प्रक्रिया द्वारा भरा जावें)

नगर पंचायत चारामा, जिला - उ.ब. कांकेर

श्री ....

से .... एलडुनांत इंटरप्राइजेस जगदलपुर ....

के संबंध में प्राप्त हुए .... निविदा आवेदन शुल्क ....

रूपये (शब्दों में) .... एक सौ रुपये मात्र ....

रूपया .... 100-/ .... नये पैसे ....

दिनांक 24/03/25

स.रा.नि. के हस्ताक्षर

चेतावनी – रसीद पर किया गया मुद्रांकन धनराशि की प्राप्ति नहीं होगी, इस पर धनराशि प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर भी आवश्यक है।